प्रारुप–1
(नियम –4 (1) देखिए)
अनुज्ञा और आबंटन के लिए आवेदन

प्रेषिती,
प्राधिकृत अधिकारी
.....
.....
.....

विषयः– गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन के लिए आवेदन

श्रीमान

मैं/हम, गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसकी विशिष्टयां निम्नानुसार हैः–

1	आवेदन के ब्यौरे (क) नाम (ख) पिता/पति का नाम (ग) पूरा पता	
2	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया (क) ग्राम और तहसील का नाम (ख) खसरा सं. और क्षेत्र	
3	आवेदन के साथ संलग्नक	
	(क) सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत/स्टास्ट्रीकृत/स्टाम्पित मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति, यदि आवेदन अन्य–व्यक्तियों की ओर से फाइल किया जाता है।	
	(ख) रजिस्ट्रीकरण की प्रति (फर्म/संस्था/कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)	
	(ग) संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)	
	(घ) राजस्थान टाउनशिपपॉलिसी अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)	
	(ड.) जहां कहीं आपेक्षित हो,भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति।	
	(च) स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की	

	प्रमाणित प्रति जैसे विक्रय विलेख इत्यादि और आवेदित भूमि के ब्यौरे।	
	(छ) प्ररुप–2 में नोटरी द्वारा सम्यक् रुप से प्रमाणित शपथपत्र	
	(ज) प्ररुप–3 में नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रुप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	
	(झ) जामाबंदी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)	
	(ञ) अभिन्यास योजना और मास्टर योजना, सेक्टर योजना (यदि कोइ हो) पर खसरा अध्यारोपण	
	(ट) खसरा मानचित्र का अनुरेख	
	(ढ) अभिन्यास योजना (एकल पट्टे की दशा में स्थल योजना)	
	(ड) की–प्लान	
	(ढ) सर्वेक्षण नक्शा	
	(ण) प्ररुप–4 में क्षेत्र संगणना के ब्यौरे।	
	(त) खातेदार/आवेदक की पहचान का सबूत	
4	प्रयोजन जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जायेगा।	
5	क्या भूखण्ड सीमा में कोई एचटी/एलटी लाईन या ट्रांस्फार्मर है।	
6	क्या आवेदित भूमि अर्जन के आधीन है।	
7	क्या आवेदित भूमि के संबंध में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के अधीन कार्यवाहियां लम्बित है।	
8	क्या भूमि अधिशेष घोषित की गई है या जिसके लिये राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 या राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 के निरसित अध्याय !!! ख के अधीन कार्यवाहियां लम्बित हैं।	
9	क्या भूमि देवता, देवस्थान विभाग, कोई लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ से संबंधित है।	
10	रेलवे लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सडक से दूरी	
	(क) लम्बित न्यायालय मामले (यदि कोई हों)	
	(ख) यदि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
11	आवेदित भूमि की पहुंच सडक की चौडाई।	
12	मास्टर योजना/सेक्टर योजना/सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भूमि का क्षेत्र जो निःशुल्क सभ्यर्पित किया जाना है।	

13	(प्ररुप–4 के अनुसार) शुद्ध क्षेत्र जिसके लिए अभिन्यास योजना जारी की जानी है।	
14	संदेय प्रीमियम प्रभारों की दर	
15	च्लान की सं. और तारीख और नियम 4 के उप–नियम (3) के अधीन संदाय करने के लिए रकम (चालान की प्रति संलग्न की जाये)	
16	कोई अन्य सुसंगत सूचना	
17	दस्तावेजों की कुल संख्या	
18	पृष्ठों की कुल संख्या	
19	मद सं. 3 और 16 में वर्णित संलग्नकों के साथ आवेदन की सॉफ्ट कॉपी	
20	आवेदन की तारीख	

घोषणा

1. मै/हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टयां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।
2. यह घोषणा की जाती है कि शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ आवेदन..... प्रयोजन (गैर कृषि उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत है। मैं/हम उक्त गैर–कृषक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के लिए मेरे/हमार अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने का/के इच्छुक हूं/है। यतः मुझे/हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान करें।
3. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा चाही गयी है, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 के नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक का पता

.....

.....

संपर्क संख्याक
और ई–मेल पता

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारुप–2
(नियम–4(1) देखिए)
शपथ पत्र

मैं/हम श्री/श्रीमती.....पुत्र श्री.....उम्र.....
जाति.....निवासी.....कामां ,भरतपुर, राजस्थान

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रुप में शपथ लेता हूं/लेते है और घोषणा करता हूं/करते हैः–

1. कि मैं/हम निम्नानुसार रुप में पर्णित भूमि का/ के खातेदार हूं/हैं और आवेदन प्ररुप में गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के प्रयोग की अनुज्ञा देने के लिए आवेदित ऐसी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत नहीं है और भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरे (ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र

2. कि मै/हम,सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार और आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए अपने अभिधृति अधिकारों को निर्वापित कराने का /के इच्छुक हूं/हैं।
3. कि मै/हम द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शाध्य और रकम का संदाय करने के लिए पाबंद रहूंगा/रहेंगे।
4. कि भूखण्ड/भूमि या भवन का कोई विक्रय,स्थानिय प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना और स्थानिय प्राधिकारी द्वारा आवेदित भूमि की अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पूर्व नहीं किया जायेगा।
5. कि आवेदाकों द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों और आदेशों का पालन किया जायेगा।
6. कि आवेदित भूमि केवल दी गई अनुज्ञा के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार विकसित की जायेगी।
7. कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणित है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
8. कि मैं/हम इसके द्वारा सुसंगत भवन उप–विधियों विनियमों स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नियमों के उपबन्धों का अनुसरण और पालन करुंगा/करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 17 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

मेरे द्वारा पहचान किया गयाः अभिसाक्षी

प्रारुप–3
(नियम–4(1) देखिए)
क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं/हम श्री/श्रीमती.....पुत्र श्री.....
उम्र.....जाति.....निवासी.....कामा भरतपुर राजस्थान

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रुप में शपथ लेता हूं/लेते हैं और घोषणा करता हूं/करते हैः–

1. कि मैं/हम इसके नीचे वर्णित भूमि जिसके लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन गैर कृषिक प्रयोजन के लिए अनुज्ञा/संपरिवर्तित भूमि के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है का/के खातेदार हूं/हैं।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरे(ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र

2. कि मैं/ हम मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मंजूर अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानी यदि काई हो के लिए स्थानिय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को पाबंद करता हूं/हैं।
3. कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन के कारण मामले मे पैदा हुये किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप से कारित किसी हानि यदि कोई हो के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं को पाबंद करता हूं/हैं।
4. कि स्थानिय प्राधिकारी को आवेदक की ओर से शर्त नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की स्कीम को निरस्त करने और अनुज्ञा को प्रत्याहत करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी कारित किसी धनीय हानी के लिये दायी होगा।

आवेदक

प्ररुप–4

(नियम–4(vii) देखिए)

क्षेत्र संगणना रुप विधान

क. एकल पट्टा मामले (खसरा संख्या 1803 रकवा 300 वर्ग मी0

(क) कुल भूखण्ड क्षेत्र की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है

क्र.सं.	विशिष्टियां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	कुल क्षेत्र		
2.	सेक्टर सडक/मास्टर योजना सडक/राजमार्ग इत्यादि के आधीन क्षेत्र(आवेदक से सभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा)		
3.	सेक्टर/मास्टर योजना का पांच प्रतिशत की दर से सुविधा क्षेत्र (यदि लागू हो) (आवेदक से सभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा)		
	शुद्ध भूखण्ड क्षेत्र(123)		

ख. स्कीम भूखण्ड क्षेत्र के ब्यौरे

(ख) कुल भूखण्ड की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है

क्र.सं.	विशिष्टियां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	आवासिक/औद्यौगिक/संस्थानिक/फार्म हाउस/रिसोर्ट या कोइ अन्य विषेष टाउनशिप भूखण्ड क्षेत्र		
2.	वाणिज्यिक क्षेत्र (अनौपचारिक सेक्टर)		
3.	वाणिज्यिक क्षेत्र सामान्य		
4.	सेक्टर सडकों को सम्मलित करते हुए सडक के अधीन क्षेत्र		
5.	पार्क/खुले स्थान/रोपण गलियारा		
6.	सुविधा के लिए आरक्षित क्षेत्र		

ग.स्कीम के लिए भूखण्डों के ब्यौरे

क्र.सं.	ब्लॉक सं.	भूखण्ड सं.	क्षेत्र वर्गमीटर में	क्षेत्र वर्गगज में
कुल				

आवेदक के हस्ताक्षर